"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018 — भाद्रपद 23, शक 1940

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-01/2017/30/सं. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम" के गठन करने के आदेश प्रसारित करता है.

2. छत्तीसगढ़ी भाषा तथा छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं, जैसे - गोंडी, हल्बी आदि में बनाए जाने वाली फिल्मों से सम्बन्धी विषय ही निगम के कार्यक्षेत्र में होंगे.

3. छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम का पंजीकरण छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कराये जाने की अनुमति दी जाती है.

4. "छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम" का संचालक मण्डल निम्नानुसार रहेगा :-

I.	शासन द्वारा नामित व्यक्ति	अध्यक्ष
II.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
III.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्च स्तर का हो)	सदस्य
IV.	संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़	सदस्य
V.	संचालक, उद्योग, छत्तीसगढ़	सदस्य
VI.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल	सदस्य
VII.	संचालक, संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, छ. ग.	सदस्य
VIII.	अशासकीय सदस्य - अधिकतम पांच	शासन द्वारा नामांकित
IX.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम	सदस्य सचिव

5. शासन द्वारा नामांकित अध्यक्ष एवं अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल शासन द्वारा निर्धारित अवधि अथवा शासन की मंशानुसार होगा.

6. निगम के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में समय-समय पर शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे.

7. छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की बजट एवं वित्त व्यवस्था स्वयं की आय एवं राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान से होगी.

8. राज्य शासन सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए निगम को अधिक्रमित कर सकेगा. निगम के सभी सदस्य निगम के अधिक्रमित होने की स्थिति में अपने पद से स्वयमेव विलग हो जाएंगे. निगम के पुनर्गठन होने तक निगम की सभी व नियंत्रित सम्पत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेंगी, जिसका प्रभार प्रबंध संचालक के अधीन होगा.

9. राज्य शासन को निगम/ संचालक मण्डल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा.

10. निगम, फिल्म से संबंधित कलाकारों/साहित्यकारों/व्यक्तियों के विकास, कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए नियम बनाने तथा नियम प्रक्रिया लागू करने हेतु सक्षम होगा.

11. निगम का मुख्यालय रायपुर में होगा.

प्रदेश में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन के लिए उपरोक्तानुसार राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा दिनांक 21-08-2018 को निर्णय लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 11th September 2018

NOTIFICATION

No. F 3-01/2017/30/Cult. — The Government of Chhattisgarh hereby approves and announces the formation of the "Chhattisgarh Film Development Corporation" as per Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973.

2. The Corporation shall work for the films in the languages of Chhattisgarhi and the various spoken languages in Chhattisgarh like Gondi, Halbi etc.

3. Approval is given for the registration of "Chhattisgarh Film Development Corporation" as per the provisions of Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973.

4. The Chhattisgarh Film Development Corporation will be governed by the board of directors whose members will be the following :-

i	Person nominated by the Government of Chhattisgarh.	- Chairman
ii	Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Culture, or a person nominated on his behalf (Not below the rank of Deputy Secretary)	- Member
iii	Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Finance, or a person nominated on his behalf (Not below the rank of Deputy Secretary)	- Member
iv	Director, Public Relations, Government of Chhattisgarh	- Member
v	Director, Industries, Government of Chhattisgarh	- Member
vi	Managing Director, Chhattisgarh Tourism Board	- Member

vii Director, Directorate of Culture and Archaeology, Government of Chhattisgarh - Member

viii Non Official Members - (Max 5 Numbers) - Nominated by the Government of Chhattisgarh

ix Managing Director, Film Development Corporation - Member Secretary

5. The duration of nominated Chairman and the other Non-official members will be as per the orders or wishes of the Government of Chhattisgarh.

6. The nominated Chairman and the other Non Official Members will be entitled to facilities as per the orders/ directives issued from time to time by the Government of Chhattisgarh.

7. The Financial provisions and budget of Chhattisgarh Film Development Corporation will be done by itself and from the grant given by the State Government.

8 The State Government shall be empowered for Public benefit to supersede the Corporation. In such situations of supersession the board of directors will be automatically detached or ceased from office. In-case of the reorganisation of the corporation all its properties and assets will be placed under the custody of the Government, and the Managing Director will be custodian of the same.

9. The Government of Chhattisgarh has the power to dissolve the corporation and the board of directors, the government shall also have the power to change the Chairman and the members of the board of directors.

10 The corporation shall work and will be authorised to frame and enforce rules, formulate policies and other activities for the benefit of the film actors/writers and authors/capacity development of the persons, employees and workers and others who are utilised for a film.

11 The Head Office of the Chhattisgarh Film Development Corporation will be in Raipur.

The Cabinet of Chhattisgarh State Government has decided to from the Chhattisgarh Film Development Corporation on the 21st August 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIHARIKA BARIK SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.